



Neutral Citation No.- 2026:AHC:13662

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-14179 वर्ष 2024

यूनुस @ कैली

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आलोक कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह आवेदक की ओर से दूसरी जमानत याचिका है। पहली याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 09.12.2019 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 25680/2019 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।
4. आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 426/2016 में धारा 147, 148, 149, 302, 420, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ यह जमानत याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि सह-आरोपी व्यक्तियों में से एक को आवेदक की प्रस्तुत जमानत याचिका को खारिज करने से पहले इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 26.04.2019 के आदेश द्वारा जमानत दी गई है। इसके बाद, सह-आरोपी व्यक्ति सुहैल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.03.2022 के आदेश द्वारा जमानत दे दी गई है।
6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि तथ्य के चार गवाहों में से तीन ने अपने पहले के बयानों से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। अ०सा०-4 मृत व्यक्ति की मां है और उसने अपनी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी का भी समर्थन नहीं किया है। मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह सच है कि आवेदक पिछला दोषी है, लेकिन वह 24.11.2016 से इस मामले में जेल में बंद है, इस प्रकार, कैद की अवधि नौ वर्ष से अधिक है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. ततस्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है कि आवेदक पूर्व में दोषी है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास के बारे में नहीं बताया गया है। आवेदक के खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज हैं।
8. खंडन में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि उसे आठ मामलों में बरी कर दिया गया है और अन्य मामलों में जमानत पर है। उक्त अपील में आवेदक को अभी तक जमानत पर रिहा नहीं किया गया है, इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के जमानत पर रिहा होने की कोई संभावना नहीं है।
9. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 08.08.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, उन्नीस गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और ऐसे कई मुकदमे हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है, इस प्रकार, सत्रह और गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।
10. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास की व्याख्या



नहीं की गई है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)